

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2310 /2019 दिनांक :13.11.2019

डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 31.10.2019 से 02.11.2019 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 03.11.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/83/2002/ 10630

दिनांक :13.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 12218 दिनांक 05.11.2019 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), जोधपुर महानगर।
4. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), जोधपुर महानगर।
5. विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), जोधपुर महानगर।



सहायक रजिस्ट्रार